In the Court of Additional Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Sessions Trial No. 65/2023

आदेष

07.03.2024

1. सभी (5) अभियुक्तो में से (2) काराधीन अभियुक्त नीतीष उर्फ नीतीष कुमार एवं धीरज कुमार को कारा से वी0सी0 के माध्यम से उपस्थापना कराया गया। शेष (3) अभियुक्तो में से (1) अभियुक्त आकाष उर्फ दुर्लभ कष्यप उर्फ आकष राज की हाजरी हैं तथा (2) अभियुक्त विषाल गुप्ता एवं पुष्कर सिंह की ओर से धारा 317 द0प्र0स0 का आवेदन दिया गया जिसे न्यायहित में स्वीकृत किया जाता हैं।

2. वाद पुकार पर उभय पक्ष के वि0 अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अपराधिक विविद्य वाद सं0– 288/2024 के अंतर्गत आदेष दिनांक 12.01.2024 द्वारा वि0 जिला एवं सत्र् न्यायाधीष, हाजीपुर, वैषाली को निर्देषित किया गया हैं कि प्रार्थी धीरज कुमार, साकिन– मधुरापुर, थाना गोरौल, जिला–वैषाली के विरूद्ध सभी 7 वादो, जिनकी चर्चा अपराधिक विविद्य वाद सं0–20597/2023 में पारित दिनांक 22.05.2023 के आदेष में की गयी हैं, को त्वरित रूप से निष्पादित किया जाए। इस वाद में दिनांक 01.02.2023 को ही धारा 395, 397, 412 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियिम के प्रावधानो के अंतर्गत पुष्कर कुमार, धीरज कुमार, नितीष कुमार एवं दुर्लभ कष्यप के विरूद्ध आरोप गठन किया जा चुका हैं। किन्तु आरोप पत्र में नामित कुल 7 साक्षियों में से जिनमें पु0अ0नि0 संतोष कुमार सिंह, सदर थाना, हाजीपुर, वादी अख्तर हुसैन, पिता– स्व0 बग्गर मियॉ, जख्मी नईम मियॉ, पिता– स्व0 हकीक मियॉ और अन्य साक्षी मुख्तार अहमद, पिता– मौलादीन मियॉ, साक्षी वजीर अहमद, पिता– स्व0 अब्दूल माहिर, साक्षी सुरजदेव राय, पिता– स्व0 राम एकबाल राय एवं साक्षी मुकेष राय, पिता– भूनेष्वर राय, जिनकी चर्चा आरोप पत्र सं0– 733/22 दिनांक 30.09.2022 में की गयी हैं, को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पूर्व में भी न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, वैषाली आदेष दिनांक 02.01.2024 की प्रति निर्गत की गयी थी जिसमें अभियोजन को भी निर्देष गया था कि इस वाद में अभियोजन साक्षी को प्रस्तुत करे। अभियोजन की ओर से भी लापरवाही स्पष्ट रूप से

Web copy not Official

In the Court of Additional Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Sessions Trial No. 65/2023

लगातार

दृष्टिगोचर होती हैं। यदि ऐसे गम्भीर अपराधो में भी लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी अभियोजन की ओर से एक भी साक्षी प्रस्तुत नहीं करने से वस्तु स्थिति स्वंय स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। अभियोजन को पूनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिषा निर्देष के संबंध में सूचित व अगाह करते हुए निर्देष दिया जाता हैं कि दिनांक 20.03.2024 को निष्चित रूप से आरोप पत्र में नामित साक्षियों को अवष्य प्रस्तुत करे तथा प्रत्येक तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत करे। आज न्यायालय में उपस्थित अपर लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया हैं कि लगभग 6 पत्र पुलिस अधीक्षक, वैषाली कार्यालय को इस संबंध में निर्गत किया जा चुका हैं लेकिन आज तक एक भी साक्षी प्रस्तुत नहीं हो पाया हैं।

3. कार्यालय को निर्देष दिया जाता हैं कि इस आदेष की प्रति पुलिस अधीक्षक, वैषाली एवं जिला पदाधिकारी, वैषाली को निर्गत करे ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिषा–निर्देष का अनुपालन सही एवं वास्तविक रूप हो सके।

दिनांक 20.03.2024 साक्ष्य हेतु। ले0

A.D.J-II
Vaishali at Hajipur

Web copy not Official